हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा
कार्यसूची
अष्टम् सत्र
वीरवार, 12 मार्च, 2015/21 फाल्गुन,1936 (शक्)
11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तरः**

   (1) **तारांकित :** (पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।)

      (i) स्थगित

      (ii) दिन के लिए

   (2) **अतारांकित :** (पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।)

      (i) स्थगित

      (ii) दिन के लिए

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगेः-

      (i) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-1/2007-I, दिनांक 24.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2014 को प्रकाशित; और

      (ii) हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय सेवाएं), सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्याःपीईआर(एपी)-सी-ए(3)-7/2010-I, दिनांक 28.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.02.2015 को प्रकाशित ।

   (2) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा(1) और(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2013-2014 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री जी0एस0 बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री,** विधिक माप विज्ञान माप विज्ञान अधिनियम, 2009(2010 का 1) की धारा 53 की उप-धारा(4) के अन्तर्गत हिमाचल विधिक माप विज्ञान(प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2014 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. **सदन की समिति के प्रतिवेदन :-**

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **78वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **79वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **80वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **उद्यान विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **81वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 (सिविल/राजस्व प्राप्तियां) पर आधारित तथा **भाषा कला एवं संस्कृति विभाग** से सम्बन्धित है।

4. **अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2014-2015:-**

(1) सामान्य चर्चा ।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों(प्रथम एवं अन्तिम किस्त) पर चर्चा, मतदान एवं उनका पारण।

5. **विधायी कार्य:**

(1) **सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना**

(i) **श्री वीरभद्र सिंह , मुख्य मन्त्री ,** प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे । **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 (2015 का**

विधेयक संख्यांक 1)

(2) **सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण**

(i) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय और धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए। **हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015**(2015 **का विधेयक संख्यांक** 1)

6. **राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव-प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः**

(1) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल, निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगेः** कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर निम्न शब्दों में उनकी सेवा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएः-

(i) **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 11 मार्च, 201 5 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं।"**

(ii) **श्री बम्बर ठाकुर,** प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे ।

शिमला-171004 | **सुन्दर सिंह वर्मा ,**

दिनांकः 11 मार्च 2015 06:22 PM | **सचिव।**

****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो,की भी जांच कर लें)